न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–15 / 2025

1. वेद प्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट (भाम्भु) निवासी वार्ड सं. 8 नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– प्रार्थी / निगरानी कर्ता

बनाम

1. प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
2. ग्राम पंचायत ललानिया जरिये सरपंच / प्रशासक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ललानिया तहसील नोहर।
3. सचिन पुत्र सुरेश कुमार जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर हाल परलीका तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः–श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री रोहिताश सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–03

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) ★

निर्णय दिनांकः– 22.04.2026

प्रार्थी वेदप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 8 निवासी नगरासरी तहसील नोहर द्वारा मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर द्वारा अनवानी वेदप्रकाश बनाम ग्राम पंचायत ललानिया अपील सं. 6 / 2025 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2025 को, अपास्त बाबत निगरानी पेश की गई है, जिसकें संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. प्रार्थी ने एक अपील मातहत अदालत में इस आशय की पेश की ग्राम नगरासरी तहसील नोहर में पुराने समय का एक आवासीय भूखण्ड है जिस पर प्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिसे [illegible] पूर्व गली आम व पश्चिम मे धर्मपाल तथा माप उतर 120 फुट, दक्षिण में 120 फुट, पूर्व में 40 फुट व पश्चिम में 40 फुट है, जिसका पट्टा देवीलाल पुत्र रामेश्वरलाल के नाम से जारी है। जिसकी बाबत ग्राम पंचायत द्वारा ज्ञान होने पर पट्टा सं. 81 प्रस्ताव सं. 28 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

22.03.1980 को जारी होना बताया है चुंकि प्रार्थी का लगातार कब्जा होने के कारण यह पट्टा खारीज फरमाया जाकर प्रार्थी का पट्टा बनाया जावे। यहां पंचायत अधिनियम के अनुसार नही बनाया गया ना भौतिक सत्यापन किया गया है। प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत की तलबी की गयी किन्तु सुनवाई के दौरान अप्रार्थी सं. 2 ने सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2025 पेश किया, जिस पर ना तो प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया ना सूचना दी गयी और एक पक्षीय तौर पर दिनांक 29.10.2025 को मातहत अदालत ने पट्टा सं. 81 दिांक 07.07.1980 को बहक देवीलाल पुत्र रामेश्वर भाम्भु निवासी नगरासरी का पट्टा खारीज कर अप्रार्थी सं. 2 का पट्टा जारी करने के आदेश जारी किये, जो प्रार्थी निम्न आधारों पर अपास्त करा पाने का अधिकारी है।

1. मातहत अदालत का निगरानीकृत आदेश विधि विरूद्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्व मनमाना व स्वेच्छा चारिता पूर्ण व राजनेतिक निर्णय है जो अपास्त योग्य है ।

2. अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना पत्र पर कतई सुनवाई नहीं हुई ना ही अप्रार्थी द्वारा अपील पेश की गयी, ना पट्टा की इस्तदुआ की बिना ऐसी कार्यवाही के ही निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है।

3. पट्टा निरस्त करने व प्रार्थी के पट्टे बनाने की अपील पेश की गयी थी, उस पर कतई विचार नही किया और एक पक्षीय तौर पर निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व है एवं अपास्त योग्य है।

4. प्रशासन कमेटी ने कभी भी मौका नही देखा ना मौका पर कभी कमेटी गयी मौका रिपोर्ट पर तारीख भी दर्ज नही है किन्ही मौतबिरान के हस्ताक्षर अंगुठा भी नही है सारी कार्यवाही राजनैतिक स्तर पर पंचायत समिति ऑफिस में बैठकर की गयी है, इसी आधार पर निगरानी स्वीकार योग्य हैं।

5. प्रशासन कमेटी द्वारा समिति अप्रार्थी सं. 3 का कब्जा बताया है जबकि अप्रार्थी से लगभग 8–10 वर्षो से परलीका में रहता है, उसका निवास स्थान नगरासरी में ही नही है, अप्रार्थी सं. 3 ने प्रार्थी के खिलाफ उक्त प्लॉट का दावा सिविल न्यायालय में कर रखा है। जिसमें प्रार्थी का ही कब्जा दर्शाया है। [illegible] में प्रशासन कमेटी की रिपोर्ट स्वतः ही मिथ्या है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:39 IST
Reason: SelfAttested

6. मातहत अदालत पट्टे को अप्रार्थी सं. 3 के दावा को सही मानती है तो वारिसान प्रार्थी व बहिने भी वारिसान थी। ऐसा न दर्ज कर न [illegible]र किया ना करके निर्णय में कोई विवेचन किया। अपील इसी आधार पर स्वीकार योग्य है। इससे पूर्व भी प्रशासन कमेटी के अध्यक्ष ने दिनांक 03.03.2025 को मौका पर प्रार्थी का कब्जा माना था।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

7. अपीलकृत आदेश का ज्ञान अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम ललानिया में बनाया कि पट्टा सचिन के नाम बनाये जाने की निर्णय हुआ है। दिनांक 20.11.2025 को बताया तो प्रार्थी ने नकल प्राप्त कर निगरानी पेश कर रहा है, अपील अन्दर मियाद है।

8. निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है तथा निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है।

9. मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर में मि.नं. 6/2024 बअनवानी वेदप्रकाश बनाम ग्राम पंचायत तलब फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 29.10.2025 निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री रोहिताश सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–02 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी सख्या–03 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम से जारी पट्टा की अपील पंचायत समिति नोहर में दायर की गई। भाई के पुत्र द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–01 नियम 10 सीपीसी पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रार्थी द्वारा पेश की गई, लेकिन पट्टा बनाने का आदेश अप्रार्थी संख्या–03 सचिन के नाम से जारी किया गया। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा विवादित जगह का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। सचिन वर्तमान में परलीका गांव में निवास करता है। भूखण्ड से संबधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करनें हेतु निर्देशित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया न्यायालय पंचायत समिति नोहर में अपील वेदप्रकाश द्वारा पेश की गई। ग्राम पंचायत ललानियां द्वारा वर्ष 1980 में अप्रार्थी के पिता के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर पिता के नाम से जारी पट्टा खारिज करवा कर अपने नाम जारी करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील में मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया इसलीए जरिये प्रार्थना–पत्र आदेश–1 नियम 10 सीपीसी पेश कर पक्षकार बनना पड़ा। ग्राम ललानियां के मौजिज व्यक्तियों के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये हुए है। अप्रार्थी के पिता के नाम 8 पट्टे थे जिनमें से 07 पट्टों के भूखण्ड वेदप्रकाश को दिये गये एंव 01 प्लॉट का भूखण्ड अप्रार्थी को दिया गया। मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के आधार ही न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा विवादित भूखण्ड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

स्थगन आदेश जारी किया था कि विवादित प्लॉट विक्रय नहीं किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय सही एंव उचित है। प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर पंचायत समिति का निर्णय बहाल रखा जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित एंव विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2025 में अंकित किया है कि "अपीलधीन पट्टा संख्या 81 दिनांक 07.08.1980, जो देवीलाल के नाम से जारी है परन्तु पट्टा में वर्णित भूखण्ड प्रत्यर्थी संख्या–02 (सचिन पुत्र श्री सुरेश) के कब्जा व उपभोग मे है। तथा सुनवाई में सदस्यों के विचार विमर्श अनुसर इस पट्टा के बन रहनें से दुसरा पट्टा जारी नहीं हो पाने से अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या–02(सचिन) के हिस्सा के भूखण्ड पर अपना हक व हिस्सा जताता रहेगा तथा साथ ही पट्टा जारी नहीं हो पाने से प्रत्यर्थी संख्या–02 सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करनें से वंचित रहेगाा। इसलीए अपील में अंकित पट्टा पर प्रत्यर्थी संख्या–02(सचिन पुत्र श्री सुरेश कुमार) का कब्जा व उपयोग होनें से पट्टा बहक श्री देवीलाल खारिज करते हुए ग्राम पंचायत को सचिन पुत्र श्री सुरेश कुमार मे पक्ष में पट्टा जारी करनें हेतु आदेशित किया जावे।" पंचायत समिति नोहर की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार–सचिन पुत्र सरेश कुमार की ही जगह है पिछले कई वर्षो से कब्जा है।

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2025 में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2025 में हस्तक्षेप किये जानें का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:39 IST
Reason: SelfAttested

(संजू पारीक, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)